कुलाधिपति
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
UTTAR PRADESH, LUCKNOW

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref. No. : .....

Date. : .....

संख्याः ई– 55 /जी0एस0

दिनांक 03 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, ~~2023~~ 2024

आदेश

1. प्रत्यावेदक डा0 राजेन्द्र कुमार, रेडियोथेरेपी विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (आगे 'विश्वविद्यालय') द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (आगे 'अधिनियम') की धारा–53 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.07.2022 के माध्यम से प्रसारित अन्तिम वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय में योगदान करने से पूर्व प्राप्त किये गये अपने शैक्षणिक अनुभव को सम्मिलित करते हुए सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर पूर्व तिथियों से प्रोन्नति प्रदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रत्यावेदक का कथन है कि रेडियोथेरेपी विभाग की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 16.07.2022 के क्रमांक 01 पर अंकित डा0 एम0एल0बी0 भट्ट, आचार्य को उनके विश्वविद्यालय में योगदान करने से पूर्व प्राप्त किये गये शैक्षणिक अनुभव को सम्मिलित करते हुए सह–आचार्य एवं आचार्य पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है। उपर्युक्त वरिष्ठता सूची के कमांक 8 पर डॉ0 नवीन सिंह, एडीशनल आचार्य, (एन0एम0), मेडिकल फिजिक्स, कमांक 9 डॉ0 तीरथराज वर्मा, एडीशनल आचार्य (एन0एम0) एवं कमांक 10 डॉ0 श्रद्धा श्रीवास्तव, सह आचार्य (एन0एम0) मेडिकल फिजिक्स को बिना अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पदोन्नतियॉ प्रदान की गयी है, किन्तु प्रत्यावेदक को इसका लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पत्र दिनांक 06.03.2014 द्वारा सह आचार्य पद पर प्रोन्नति के पेपर पब्लिकेशन का न होना बताया गया है, किन्तु प्रस्तुत पत्रों में आयोग ने पेपर पब्लिकेशन अनिवार्य नहीं (Desirable) माना गया है। उपर्युक्त वरिष्ठता सूची के अनुसार शैक्षिक पद पर नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक

अनुभव व पेपर पब्लिकेशन कोई मसला नहीं है, अतएव उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही/न्याय प्रदान कराया जाये।

3(क) विश्वविद्यालय का कथन है कि प्रत्यावेदक द्वारा रेडियोथेरेपी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के पश्चात दिनांक 15.12.2008 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। नियुक्ति पत्र दिनांक 15.10.2008 के बिन्दु संख्या 06 पर स्पष्ट रूप से अंकित *"Your faculty (teaching) experience in earlier assignment/s shall not be counted in terms of your eligibility for personal promotion from Assistant Professor to Associate Professor and determing your inter-se-seniority in this University"* के अनुसार प्रत्यावेदक के संकाय (शिक्षण) के अनुभव को सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए वैयक्तिक पदोन्नति और पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है। परिनियमावली, 2011 की धारा 41(डी), 41(ई) एवं 11.10 में वरिष्ठता के सम्बन्ध में शिक्षक के पिछले असाइनमेंट में अर्जित शिक्षण अनुभव को उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए गिने जाने की व्यवस्था नहीं है तथा शिक्षकों के विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर वेतन संरक्षण का भी प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय में प्रभावी पुरानी व्यवस्था एवं एम०सी०आई० के मानकों के अनुसार प्रत्यावेदक की सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर समयबद्ध वैयक्तिक प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 25.06.2013 को प्रत्यावेदक को अर्ह नहीं पाया गया था एवं दिनांक 03.08.2013 को कार्य परिषद की बैठक में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर प्रत्यावेदक को सहायक आचार्य के पद से सह आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु अयोग्य घोषित किया गया। चयन समिति के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में Not recommended. Very poor performance. Not eligible also as per MCI norms इंगित किया है।

3(ख). परिनियमावली, 2011 की धारा 10.05 के आलोक में प्रत्यावेदक को दिनांक 15.12.2013 से सह आचार्य के पद हेतु अर्ह मानते हुए दिनांक 25.02.2015 के साक्षात्कार में पुनः सम्मिलित होने पर दिनांक 07.03.2015 को हुई कार्य परिषद की

बैठक में चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के आधार पर सफल घोषित किए जाने के उपरान्त प्रत्यावेदक को सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर समयबद्ध वैयक्तिक प्रोन्नति प्रदान की गयी तथा प्रत्यावेदक द्वारा उसी दिन, दिनांक 07.03.2015 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा भी प्रत्यावेदक की प्रोन्नति हो जाने के फलस्वरूप प्रत्यावेदक का प्रकरण दिनांक 24.08.2015 को बन्द कर दिया गया था। विश्वविद्यालय में प्रभावी पुरानी व्यवस्था एवं एम०सी०आई० के मानकों के अनुसार प्रत्यावेदक की सह आचार्य से आचार्य के पद पर समयबद्ध वैयक्तिक प्रोन्नति की अर्हता 04 वर्ष दिनांक 15.12.2017 से मानते हुए आचार्य के पद पर समयबद्ध वैयक्तिक प्रोन्नति आदेश दिनांक 02.08.2018 के द्वारा की गयी थी तथा प्रत्यावेदक द्वारा उसी दिन उक्त पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था ।

3(ग) प्रत्यावेदक द्वारा पूर्व में भी बैकडेट से प्रोन्नत किये जाने एवं वित्तीय लाभ दिनांक 30.01.2020 से दिये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रत्यावेदनों द्वारा अनुरोध किया गया था, जिनके निस्तारण हेतु गठित 05 सदस्यीय समिति की संस्तुतियॉ निम्नवत हैं:–

"In the matter of backdating of faculty members of the University, the 1st Statute (amendment) does not have any provision for the same.

As is stated in the 1st Statute (amended) of the University-section 10.04 (clause (vii), section 41(d) & 41(e) 11.10 that the "concerned teacher promoted under personal promotion scheme shall be entitled to service protection, seniority benefit, salary and other allowances as that of a regular Associate Professor and Professor from the date of his substantive appointment for the respective promotion.

However, it was decided by Hon'ble Executive Council of the University that since the interviews of many faculty members were delayed for no fault of the faculty members, therefore the option of backdating was exercised to benefit the faculty members to gain time for their next due promotion.

It is clear that the process of backdating which was recommended by the Executive Council of KGMU was a effort only to give benefit of time period for the next due promotion and not to influence, seniority both in the departmental & Intra University or to grant any back wages or their benefits from the date of backdating.

After considering the above mentioned facts, it was decided by the committee that no financial benefit can be provided to Dr. Rajendra Kumar, Professor, Department of Radiotherapy."

विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 06.01.2020 के द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय से प्रत्यावेदक को अवगत करा दिया गया है। बैकडेटिंग तिथि से प्रोन्नति एवं वित्तीय लाभ दिनांक 03.01.2020 से दिये जाने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 06.01.2021 के विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 53 के अंतर्गत कुलाधिपति को प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 14.07.2021/27.08.2021 कालबाधित होने व पोषणीय न होने के आधार पर दिनांक 05.10.2021 को निरस्त कर दिया गया है अतएव प्रकरण निक्षेपित किया जाये।

4(अ). प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में प्रत्यावेदन के कथनों पर बल देते हुए उल्लेख किया गया है कि उसने अपना प्रत्यावेदन 5 सदस्यीय वरिष्ठता समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया था, जिसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की आख्या में कोई उल्लेख नहीं है। विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली जुलाई–अगस्त, 2011 से प्रभावी हुई है, जबकि प्रत्यावेदक की प्रोन्नति का प्रकरण परिनियमावली आने से पहले अर्थात जनवरी, 2010 का है। विश्वविद्यालय में योगदान करने से पूर्व प्रत्यावेदक दिनांक 03.01.2006 से 15.12.2008 तक सहायक आचार्य पद के पद पर PGIMER, चंडीगढ़ में तैनात रहा। प्रत्यावेदक द्वारा उचित माध्यम से बिना ब्रेक–अप अपने पूर्व स्थान से कार्यमुक्त होने के पश्चात इस विश्वविद्यालय में योगदान किया गया तथा पूर्व के शैक्षणिक अनुभव को सम्मिलित करते हुए 4 वर्ष बाद जनवरी, 2010 से सह–आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2010 प्रस्तुत किया था, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा जान बूझकर जून, 2013 तक प्रोन्नति के लिए कमेटी नहीं बुलाये जाने से प्रत्यावेदक को वरिष्ठता व शैक्षणिक अनुभव का नुकसान हुआ है।

4(ब). नियुक्ति पत्र के बिन्दु 06 में दी गयी शर्त सिर्फ प्रत्यावेदक पर ही नहीं अपितु डॉ0सुधीर सिंह, डॉ. नवीन सिंह, डॉ0 तीरथराज वर्मा एवं डॉ. श्रद्धा श्रीवास्तव पर भी

लागू होती है, किन्तु प्रत्यावेदक के अतिरिक्त इन शिक्षकों को प्रोन्नतियाँ प्रदान की गयी हैं, जबकि इन शिक्षकों के पास निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं थी। दिनांक 25.06.2013 को आहूत चयन समिति की बैठक व दिनांक 03.08.2013 को कार्यपरिषद की बैठक में तीन पेपर पब्लिकेशन (Desireable–अनिवार्य नहीं) न होने के कारण प्रत्यावेदक को प्रोन्नत नहीं किया गया, जबकि इसी सेलेक्शन कमेटी व कार्यपरिषद की बैठक में डॉ. श्रद्धा श्रीवास्तव को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता न होने पर भी संकाय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया अतएव प्रकरण में उचित कार्यवाही की जाये।

5. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक के कथनानुसार कतिपय शिक्षकों को बिना अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के विश्वविद्यालय में योगदान करने से पूर्व प्राप्त किये गये शैक्षणिक अनुभव को सम्मिलित कर सह–आचार्य व आचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है तथा प्रत्यावेदक को उसकी पूर्व सेवा का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। नियुक्ति पत्र की शर्त 6 का उल्लेख सिर्फ प्रत्यावेदक पर ही नहीं अपितु डॉ0 सुधीर सिंह, डॉ. नवीन सिंह, डॉ. तीरथराज वर्मा, डॉ0 श्रद्धा श्रीवास्तव पर भी लागू होती है। इनमें से कतिपय शिक्षकों को उनकी पूर्व सेवाओं का लाभ दिया गया है। उसी चयन समिति व कार्यपरिषद की बैठक में डॉ. श्रद्धा श्रीवास्तव को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता न होने पर भी संकाय सदस्य नियुक्त किया गया। प्रत्यावेदक के इन कथनों के विरुद्ध विश्वविद्यालय की आख्या मौन है जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक के कथनों को स्वीकार किये जाने का प्रभाव रखता है।

6. प्रत्यावेदक के कथनानुसार विश्वविद्यालय में योगदान करने से पूर्व प्रत्यावेदक दिनांक 03.01.2006 से 15.12.2008 तक सहायक आचार्य के पद पर PGIMER, चंडीगढ़ में तैनात रहा। प्रत्यावेदक द्वारा बिना ब्रेक उक्त संस्थान से कार्यमुक्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय में योगदान देकर पूर्व के शैक्षणिक अनुभव को सम्मिलित करते हुए 4 वर्ष बाद जनवरी, 2010 से सह–आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2010 को ही प्रस्तुत किया गया था इस प्रकार से प्रत्यावेदक की प्रोन्नति का

प्रकरण परिनियमावली, 2011 के आने के पहले अर्थात जनवरी, 2010 का है। विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली जुलाई–अगस्त, 2011 से प्रभावी हुई है तथा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जून, 2013 तक प्रोन्नति के लिए कमेटी नहीं बुलायी गयी है।

7. विश्वविद्यालय के कथनानुसार, प्रत्यावेदक द्वारा पूर्व में भी विभिन्न प्रत्यावेदनों द्वारा बैकडेट दिनांक 30.01.2020 से प्रोन्नति एवं वित्तीय लाभ दिलाये जाने का अनुरोध किया गया था जिसे पॉच–सदस्यीय समिति के निर्णयानुसार निस्तारित करते हुए विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 06.01.2020 के द्वारा प्रत्यावेदक को सूचित कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा अधिनियम, 2002 की धारा 53 के अंतर्गत मा0 कुलाधिपति को प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 14.07/27.08.2021 कालबाधित होने व पोषणीय न होने के आधार पर कुलाधिपति आदेश दिनांक 05.10.2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, किन्तु प्रत्यावेदक द्वारा वरिष्ठता सूची दिनांक 16.07.2022 के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करते हुए उचित कार्यवाही व न्याय दिलाये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

8. उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदक द्वारा नियुक्ति–पत्र दिनांक 15.10.2008 के क्रम में रेडियोथेरेपी विभाग में सहायक आचार्य पद पर दिनांक 15.12.2008 को कार्यभार ग्रहण किया गया। सम्बन्धित प्रथम परिनियमावली, 2011, माह जुलाई, 2011 में तुरन्त प्रवृत्त होने से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक की प्रोन्नति का प्रकरण परिनियमावली, 2011 के आने के पहले अर्थात जनवरी, 2010 से सम्बन्धित है। प्रत्यावेदक को पूर्व तिथियों से प्रोन्नति एवं वित्तीय लाभ दिलाये जाने सम्बन्धी प्रकरण को पॉच–सदस्यीय समिति के निर्णयानुसार निस्तारित करते हुए प्रत्यावेदक को सूचित कर दिया गया है तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा भी प्रत्यावेदक की प्रोन्नति हो जाने के फलस्वरूप प्रत्यावेदक का प्रकरण दिनांक 24.08.2015 को बन्द कर दिया गया है, किन्तु प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन के तथ्यों से प्रश्नगत वरिष्ठता सूची दिनांक 16.07.2022 में कतिपय शिक्षकों को उक्त लाभ दिया जाना परिलक्षित

हो रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक के उक्त कथन का स्पष्टतया खण्डन नहीं किये जाने से प्रत्यावेदक के कथन को बल मिल रहा है।

9. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है तथा प्रकरण के परीक्षणोपरान्त, प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन में उल्लिखित विसंगति (यदि कोई हो), के निस्तारण हेतु अविलम्ब समुचित कार्यवाही करके उसका विधिसम्मत निस्तारण कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है।

ह0/-
(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– डा0 राजेन्द्र कुमार, रेडियोथेरेपी विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2– कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

01.1.24
(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।